



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 21 (7)2023-24/विकास/प्रमुवस/777

दिनांक: 05/05/2023

बजट आवंटन आदेश (2)

वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में बांस रोपण वृक्षारोपण के कार्य करवाये जाने हेतु निम्नानुसार बजट आवंटन किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	बजट मद	आवंटित बजट (राशि रु. लाखों में)
1	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य	4406-01-190-01-01-73	340.00
2	वन विकास निगम लिमिटेड,	4406-01-190-01-02-73	70.00
3	जयपुर	4406-01-190-01-03-73	90.00
योग:-			500.00

1. उक्त आवंटन में यदि राशि का उपयोग संभव नहीं है अथवा बचत हो तो वह राशि इस आवंटन दिनांक से एक माह के अन्दर समर्पित कर दी जावे।
2. उक्त कार्य बांस संरक्षण के साथ ही राज्य में बांस की उत्पादकता बढ़ाने की तकनीक से सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें।
3. कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे अथवा करा ली जावे तथा राज्य सरकार के वित्तीय निर्देशों की पूर्ण पालना की जावे।
4. आवंटित राशि का अपने अधीनस्थ वन मण्डलों को नियमानुसार आवंटन कर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।
5. बजट का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर उपापचयन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करते हुए बजट सीमा में करे। इन नियमों/आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियमितताओं के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(एम.के.गर्ग)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास)

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 21 (7)2023-24/विकास/प्रमुवस/778-83

दिनांक: 05-05-2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर
2. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर
3. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट पर अपलोड हेतु)/रक्षी पत्रावली

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास)

राजस्थान, जयपुर